A.4.
1

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 27/2016 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
अहमद खॉ पुत्र कालूखॉजी उम्र 53, जाति मिरासी मुसलमान निवासी दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली हाल– भाटों की गली, पाली		राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री लक्ष्मण के. चौधरी
सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 09.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली के नामान्तरकरण संख्या 401 स्वीकृत दिनांक 29.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मौजा दयालपुरा, पटवार हल्का दयालपुरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 236 रकबा 13.03 बीघा किस्म बारानी अव्वल खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि में अपीलाण्ट के पिता कालूखां पुत्र सेसा राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार दर्ज था। जिनकी मृत्यु पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 401 पटवारी हल्का दयालपुरा द्वारा भरा गया। पटवारी हल्का द्वारा कालूखां का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते वक्त न तो विधिक वारिसान/उत्तराधिकारियों की जांच की गई, न ही विधिक वारिसान को सूना गया तथा न ही इस संबंध में कोई नोटिस जारी किए गए मात्र आम जानकारी के आधार पर मुमताज एवं असकर उर्फ असगर पिसरान् कालू के नाम से भर दिया गया। कालूखां पुत्र सेसा की मृत्यु के समय उसके दो जायन्दा पुत्र अपीलाण्ट अहमदखां तथा असकर उर्फ असगर थे। जबकि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण में अहमदखां का नाम इन्द्राज करते वक्त अहमद खां की जगह मुमताज इन्द्राज कर दिया गया। जो सही नहीं है। जबकि फौतेदगी नामान्तरकरण भरने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच करना, उन्हें सूनना तथा उसके पश्चात ही भरा जाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। जैर अपील भूमि पर अपीलाण्ट एवं उसके भाई असकर उर्फ असगर का उनके पिता कालूखां की मृत्यु के पश्चात से विधिक कब्जा रहा है तथा अपीलाण्ट के भाई के लाऔलाद फौत हो जाने के पश्चात से उक्त समस्त भूमि पर उसका बिना रोक–टोक कब्जा–काश्त आज भी कायम है। इस संबंध में अपीलाण्ट ने पड़ोसी खातेदार नरपतसिंह एवं गोविन्द गिरी के शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इस आशय का पेश किया कि अहमद खां पुत्र कालु खां जाति मिरासी मुसलमान दयालपुरा का ही निवासी था जो कालु पुत्र सेसा का पुत्र है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.........2

जिसका पुश्तैनी मकान ग्राम दयालपुरा में है तथा वर्तमान भाटों की गली पाली में निवासरत है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें एवं मुमताज के स्थान पर सही नाम अहमद खां इन्द्राज किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलाण्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनावाने हेतु जैर अपील भूमि की जमाबन्दी, गिरदावरी व नक्शा वगैरा की नकलें प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उसके नाम का अहमद खां के स्थान पर गलत नाम "मुमताज" दर्ज होने की जानकारी हुई तो राजस्व केम्प में नाम सुधार हेतु आवेदन किया तो वहां अधिकारियों को क्षेत्राधिकार का नहीं होने का बताया जाने पर बिना किसी प्रकार की देरी किए नकले प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष जानकारी से अन्दर म्याद अपील पेश की गई। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर जैर अपील नामान्तरकरण में सही नाम अहमद खां अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण सन् 1975 में स्वीकृत किया गया है। जिसको लगभग 42 वर्ष हो चुके है। इसलिए प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से म्याद बहार होने से खारीज योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण से किसी भी व्यक्ति के हक–हकूक प्रभावित नहीं होते है तथा अपीलाण्ट 1984 से पाली में रह रहा है तथा जैर अपील नामान्तरकरण के पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1856 दिनांक 15.07.2015 भरा गया। उस समय भी अपीलाण्ट को जानकारी थी। अपीलाण्ट का नाम मुमताज नहीं होकर अहमद खां है। इस संबंध में ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। जिससे अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में मुख्य तथ्य नाम संशोधन बाबत होने तथा किसी व्यक्ति विशेष के हक अधिकारों से संबंधित नहीं होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद मानी जाती है। ग्राम दयालपुरा पटवार हल्का दयालपुरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 236 रकबा 13.03 बीघा किस्म बारानी अव्वल खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता कालू पुत्र सेसा का नाम राजस्व रेकर्ड बतोर खातेदार दर्ज था। अपीलाण्ट के पिता कालु की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 29.11.1975 नायब तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें कालु पुत्र सेसा के वारिशान मुमताज, असगर पिसरान् कालु दर्ज किया गया है। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के सही नाम अहमद के स्थान पर गलत नाम मुमताज इन्द्राज हो जाने का कथन किया है। जिसके संशोधन हेतु आदेश बाबत निवेदन किया है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं निर्वाचन नामावली सन 1983 प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति भी पेश की है। निर्वाचन नामावली में अहमद खां/कालु खां व जैतुन/कालुखां दर्ज है। जैतुन कालु खां की पत्नि है जो अहमद की मां है। जिसका नाम राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी संवत 2072–75 के कॉलम संख्या 11 व 12 में दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील भूमि के पड़ोसी खातेदार नरपतसिंह एवं गोविन्दगिरी के शपथ पत्र भी पेश किए है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.........3

जो अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते है। अपीलाण्ट द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा प्रदत एक प्रमाण पत्र पेश किया है। जिसके अनुसार अहमद खां पुत्र कालु खां जाति मिरासी मुसलमान ग्राम दयालपुरा का निवासी है। जो कालु पुत्र सेसा का पुत्र है। जिसके पुश्तैनी मकान ग्राम दयालपुरा में है तथा वर्तमान में अहमद खां भाटों की गली, पाली में निवास करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के नाम का इन्द्राज जैर अपील नामान्तरकरण में सही रूप से नहीं हुआ है। जिसका संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 स्वीकृत दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि कालु खां पुत्र सेसा के फौतेदगी नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का बाद जांच सही नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। मुल नामान्तरकरण के साथ निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)